

CIRCULAR

Circular no: PFRDA/2022/39/SUP-CRA/14

21st Dec 2022

To

All stakeholders under NPS

Subject: NPS/APY Functionalities released by CRAs during Quarter II (FY 2022-23)

The Central Record Keeping Agencies (CRAs) appointed by PFRDA develop system level functionalities as per the evolving needs of NPS/APY stakeholders.

2. CRAs have the responsibility to develop new functionalities or utilities, establish new processes, offer multiple models of interface for the uploading offices in order to provide maximum flexibility in terms of operation for the benefit of the subscribers as an ongoing exercise to fulfil their obligations which ultimately benefit the Subscribers.

3. The list of functionalities that have been developed and made available by CRAs during Quarter II of the current FY 2022-23 is attached herewith for benefit of subscribers and other stakeholders (Annexure I, II and III).

4. The circular is placed in the intermediary section of CRA on [PFRDA website](http://www.pfrda.org.in) for the information of all NPS/APY stake holders.

Yours sincerely,

Chief General Manager



Annexure I - Functionalities released by Protean CRA during Q2 of FY 2022-23

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
1	eNPS - Subscriber Registration through Digi Locker DL	<ol style="list-style-type: none">1. At the time of Subscriber Registration through e-NPS, Subscribers will have an option to open account on the basis of Digilocker (Driving License).2. Subscriber will be redirected to Digilocker website and has to Sign in with login credentials (Mobile/ Aadhaar/ User ID).3. Once logged-in, Subscriber has to provide consent for sharing of documents / information with CRA.4. Name, Address, Date of Birth, Gender and Photo will be fetched from Digilocker5. PRAN will be generated after filling all mandatory fields.
2	NPS Regular - Ease of Subscriber Shifting	<p>Changes in the Inter Sector Shifting (ISS) Process:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inter-sector shifting facility in Subscriber login (Other than UoS Subscribers – already available). The target Office shall authorize the shifting request.2. Authorization of ISS request by Source Nodal Office in case of Govt. & PSUs/PSBs Corporate Subscribers prior to Date of Retirement.3. In case of Government Sector and PSUs/PSBs Corporate Subscribers, after Date of Retirement / Superannuation, authorization of ISS request by source Nodal Office is not required.4. Option to Corporate sector Nodal Offices to Flag underlying Subscribers in case of Resignation/Retirement.5. Auto Inter Sector Shifting of Corporate Subscriber to All Citizens of India Sector after 90 days from the Date of Flagging/Date of Retirement.6. "No ISS" option to Corporate/Govt. sector Nodal Offices to assign and remove Flag to PRANs along with option of document upload so that no shifting request is processed for the PRANs.



S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
3	Option to Continue existing Investment Pattern	<p>Option to continue the existing Investment Choice (PFM/Asset allocation) during Inter Sector Shifting. It is applicable for following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shifting of Corporate sector Subscribers to All Citizens of India sector. 2. Shifting of Government sector Subscribers to All Citizens of India sector.
4	Avail services through KYNA - Chatbot	<p>Implementation of Phase II of Chatbot - Now, NPS Subscribers can view through KYNA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Account Balance - Subscriber will be able to view Tier wise scheme wise balance in their PRAN. 2. Last Five Contributions - Subscriber will be able to view Tier wise last five contributions made in the PRAN.
5	NPS Regular / NPS Lite - APY - Reduction in Settlement cycle from T+3 to T+2.	NPS redemption requests will be processed on T+2 settlement cycle basis instead of earlier T+3 settlement cycle.
6	Mobile App - Transaction Statement download facility	In addition to existing option of email Transaction Statement in NPS Mobile App, facility has been provided to the Subscribers to download the Transaction Statement.
7	Instant Bank Acct Verification through penny drop during APY - Withdrawal	<p>Implementation of Penny Drop while processing of APY Exit requests:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of the Subscriber will be matched if Bank Account Number/IFS Code present in CRA records do not match with withdrawal file records. 2. Name of the Subscriber will not be matched if Bank Account Number/IFS Code present in CRA records matches with withdrawal file records.
8	Reduction in the Scheme Preference Change timelines	Reduction in Withdrawal Timelines for processing of Scheme Preference Change requests in same-day pay-in (requests accepted till 10 am).



S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
9	eNPS - Payment Integration Disabling Credit card based contribution under Tier II	Credit card payment has been disabled on eNPS portal for the following features: 1. Tier II Activation 2. Composite Subscriber Registration (Tier I + Tier II) 3. Contribution for Tier II
10	NPS Regular - Changes in Subscriber Registration	Introduction of Separate Registration Form for Govt & Pvt Sector. Major changes are as follows: 1. Removal of address fields in Nominee Section. 2. Standard Nominee relationship. 3. Removal of Bank branch and Bank address. 4. Only one address will be captured.
11	NPS Regular - Subscriber Modification	Changes in the Bank details modification process: 1. Account verification through Penny Drop: a) Subscriber Initiated requests :- i) Nodal Office authorization not required, if Penny Drop & name matching is successful. ii) Nodal Office authorization & Document Upload is mandatory, if Penny Drop is successful & name matching is unsuccessful. b) Nodal Office initiated requests - Maker/Checker process. 2. Introduction of Dual OTP Authentication at Bank details update by Subscriber in addition to eSign.
12	NPS Regular - Subscriber Modification	Introduction of Dual OTP Authentication in addition of eSign for the following features: 1. Photo-Signature update by Subscriber. 2. e-Nomination update by Subscriber.
13	NPS Regular - Scheme Preference Change & higher equity allocation	1. Non Tapering of equity allocation for Asset Class E in case of Active Choice in Tier I. 2. 100% Equity Allocation in case of Tier II without tapering of allocation.



S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
14	NPS Regular - Online Address Change	In addition to offline Aadhaar xml, Subscribers through their login will be able to update address using: 1) Driving License (Digilocker). 2) Online Aadhaar. 3) Aadhaar VID.
15	APY - Subscriber Registration allowed for non tax payers	Subscriber registration in APY from 1st October 2022 onwards is not allowed for citizen who is Income Tax payer.



Annexure II - Functionalities released by KFin Technologies CRA during Q2 of FY 2022-23

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
1	Consolidated Contribution Report	Functionality has been released for Govt subscriber as well as for Nodal office, where all credit contribution data is made available for all Financial Year instead of choosing each Financial Year.
2	ERM Bulk Upload for MP State Government	Functionality has been released for MP Govt, where bulk transaction can now be done in ERM module instead of placing one by one request capturing by Nodal office. Once Batch is uploaded in KCRA, same will be considered in Settlement process.
3	Reduction in the timelines of settlement process from T+3 to T+2.	Reduction in the timelines of settlement process from T+3 to T+2 working days for below request for all the sector in KCRA system: <ol style="list-style-type: none"> 1. Superannuation 2. Premature Exit due to Death Annuity Withdrawal 3. Tier II Withdrawal 4. Partial Withdrawal/Conditional withdrawal 5. Scheme Preference Change 6. Rebalancing 7. PFM change Request 8. one way switch 9. Inter sector change 10. ERM.
4	Conversion of NON IRA to IRA PRAN's	State Govt PRAN which are Non IRA, functionality to provided to DTA to make the PRAN as IRA compliant by uploading revised CSRF form, photo signature along with updation of other subscriber details. Also report has been provided where in Nodal office can be downloaded list of Non IRA PRANs.
5	Exit, Death and Claim ID reports	Functionality has been developed for Govt Nodal office for accessing the separate reports for Death, Premature Exit and Superannuation cases.



S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
6	CSF View	Functionality has been developed to view SCF upload under Contribution view menu in single view format without scroll down the page.
7	Dashboard - Multilingual Hindi (SG) - 1 st Time	KCRA has built for the first time a dashboard in हिन्दी for one of the State Government.
8	Alert mechanism on the missing credit	SMS and email has been sent to Govt Subscribers for missing credit exceeding 12 months, so as to contact their Nodal Office.
9	Subscriber logging link to be included on CRA Application	Subscriber login link has been enabled in KCRA Website .
10	Date of Joining- Govt Employee	A sub menu to be provided in CRA under Subscriber Maintenance, where the Govt nodal offices can update the date of joining in service for a given subscriber.
11	Period Rectification	Contribution Period rectification - As per Nodal Office, sometimes, the contribution month and year is uploaded wrongly and the same needs to be rectified. Utility now has been provided to Govt Nodal office to rectify the Contribution Month and Year as well as contribution type.
12	Contribution upload for shifted PRAN	The functionality has been provided to DTA where in State Govt subscriber shifts to another sector i.e All India Citizen or corporate, in such case the nodal office can upload the missing contribution. However the funds shall be invested as per new PFM opted by Subscriber during ISS at UoS/Corporate Sector.
13	Allowing option to allocate 75% of subscribers' contribution - without any conditions of tapering from the age of 51	Allowing Subscriber contribution in Asset E Class upto 75% in Tier 1 Account from age of 51 years without conditions of tapering from 51 years @2.5% every year and 100% in Tier II.
14	Tier II account for subscribers greater than 60	As per PFRDA regulation Tier I account could be opened till the age of 70 years. Now subscriber can open Tier II account till the age of 70 years as against 60 years and could continue the account till the age of 75 as in Tier I.



Annexure III - Functionalities released by CAMS CRA during Q2 of FY 2022-23

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
1	POP module - Bulk upload of contributions	<ul style="list-style-type: none"> • This functionality pertains to POP module. • A new menu is provided for the POP users. (POP Login--> Contribution--> Upload Contribution) • The POP user may login to this module and upload the contributions received at their end in the bulk upload format provided to them.
2	POP module - Bulk upload of contributions confirmation	<ul style="list-style-type: none"> • This functionality pertains to POP module. • A new menu is provided for the POP users. (POP Login-->Feed-->Feed Confirmation) • The POP user may login to this module and confirm the contribution uploaded so that Transaction ID can be generated. Once Transaction ID is generated, POP can transfer the fund to TB quoting the same.
3	Disabling credit card transactions under Tier II	<ul style="list-style-type: none"> • Credit cards are now disabled for Tier II contributions. Credit card as an option is not available to be selected by subscribers for their contributions. (Credit cards are permitted only for Tier I contributions) • Subscribers are displayed with caution message that contributions through credit cards are not permitted in Tier II accounts. This message is displayed for both new registrations and contributions by existing subscribers.
4	Display of PRAN for new registrations	<ul style="list-style-type: none"> • This functionality pertains to new registrations under eNPS. • For successful registrations, PRAN is generated immediately and displayed to the subscriber in the payment acknowledgement page.
5	Active choice - Change in maximum permissible investment for Equity	<p>Applicants are permitted under active choice to select a maximum of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 75% under equity for Tier I accounts. b. 100 % under equity for Tier II accounts.

परिपत्र

परिपत्र संख्या : PFRDA/2022/39/SUP-CRA/14

21st दिसम्बर, 2022

प्रति,

एनपीएस के तहत सभी हितधारक

विषय : सीआरए द्वारा तिमाही II (वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान जारी एनपीएस / एपीवाई कार्यप्रणालियां

पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), एनपीएस / एपीवाई हितधारकों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थागत कार्यप्रणालियाँ विकसित करते हैं।

- सीआरए की जिम्मेदारी है कि वह अपने दायित्वों को समय से पूरा करने की प्रक्रिया में अभिदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए नई कार्यप्रणालियों या उपयोज्यताओं को विकसित करे, नई प्रक्रियाओं की शुरुआत करे, परिचालन में अधिकतम लचीलापन प्रदान करने के लिए अपलोडिंग कार्यालयों हेतु इंटरफेस के कई मॉडल प्रदान करे, जो अंततः अभिदाताओं के लिए लाभदायक हो।
- सीआरए द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान विकसित और उपलब्ध कराई गई कार्यप्रणालियाँ, अभिदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए (अनुलग्नक I, II और III) संलग्न हैं।
- सभी एनपीएस/एपीवाई हितधारकों की जानकारी के लिए, इस परिपत्र को [पीएफआरडीए की वेबसाइट](#) पर "intermediary section of CRA" के तहत रखा गया है।

भवदीय,

मुख्य महाप्रबंधक



अनुलग्नक I - वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही (Q2) के दौरान प्रोटियन सीआरए द्वारा जारी कार्यप्रणालियाँ।

क्र.सं.	विकास / कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
1	डिजी लॉकर (DL) के माध्यम से ईएनपीएस-अभिदाता पंजीकरण	<ol style="list-style-type: none">ई-एनपीएस के माध्यम से अभिदाता पंजीकरण के समय अभिदाता के पास डिजीलॉकर (ड्राइविंग लाइसेंस) के माध्यम से खाता खोलने का विकल्प होगा।अभिदाता को डिजीलॉकर वेबसाइट पर भेजा जाएगा और उसे लॉगइन क्रेडेंशियल (मोबाइल/आधार/यूज़र आईडी) का उपयोग करते हुए साइन इन करना होगा।एक बार लॉग इन हो जाने पर, अभिदाता को सीआरए को दस्तावेज़ / सूचना प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान करनी होती है।नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग और फोटो को डिजीलॉकर से प्राप्त किया जाएगा।सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरने के बाद प्रान जारी हो जाएगा।
2	एनपीएस नियमित - अभिदाता स्थानान्तरण की सुविधा	<p>इंटर सेक्टर शिफ्टिंग (आईएसएस)/ अंतर क्षेत्रीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में परिवर्तन:</p> <ol style="list-style-type: none">अभिदाता लॉग इन में अंतर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण सुविधा (असंगठित क्षेत्र अभिदाताओं के अतिरिक्त- पहले से उपलब्ध)। लक्षित कार्यालय स्थानान्तरण अनुरोध को प्राधिकृत करेगा।सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व सरकारी और पीएसयू/पीएसबी कॉर्पोरेट अभिदाताओं के मामले में स्रोत नोडल कार्यालय द्वारा आईएसएस अनुरोध प्राधिकृत किया जाएगा।सरकारी क्षेत्र और पीएसयू/पीएसबीज़ कॉर्पोरेट अभिदाताओं के मामले में, सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता की तिथि के पश्चात् स्रोत नोडल कार्यालय द्वारा आईएसएस को प्राधिकृत करने की आवश्यकता नहीं है।पदत्याग/सेवानिवृत्ति के मामले में कॉर्पोरेट क्षेत्र नोडल कार्यालयों के पास अंतर्निहित अभिदाताओं को चिन्हित करने का विकल्प।कॉर्पोरेट अभिदाताओं को उनके चिन्हित/सेवानिवृत्ति होने की तिथि से 90 दिनों के बाद भारत के सर्व नागरिक क्षेत्र में स्वतः अंतर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण किया जाएगा।कॉर्पोरेट/सरकारी क्षेत्र नोडल कार्यालयों के पास दस्तावेजों को अपलोड करने के विकल्प के साथ ही प्रान को चिन्हित करने और हटाने के लिए "No ISS" का विकल्प है, जिससे प्रान के लिए कोई भी स्थानान्तरण अनुरोध संसाधित न हो।

क्र.सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
3	मौजूदा निवेश पैटर्न को जारी रखने का विकल्प	अंतर क्षेत्रीय स्थानान्तरण के दौरान मौजूदा निवेश चयन (पेंशन निधि प्रबंधक/आस्ति आवंटन) को जारी रखने का विकल्प। यह निम्नलिखित पर लागू है: 1. कॉर्पोरेट क्षेत्र अभिदाता का भारत के सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानान्तरण। 2. सरकारी क्षेत्र अभिदाताओं का भारत के सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानान्तरण।
4	KYNA - चैटबोट द्वारा सुविधाओं का लाभ उठाना	चैटबोट के फेज II का क्रियान्वयन – अब, एनपीएस अभिदाता KYNA के माध्यम से देख सकते हैं। 1. खाता शेष राशि – अभिदाता अपने प्रान में टियर के अनुसार और योजनावार शेषराशि देख सकते हैं। 2. अंतिम पांच अंशदान – अभिदाता प्रान में टियर के अनुसार किए गए अंतिम पांच अंशदान देख सकते हैं।
5	एनपीएस नियमित/एनपीएस लाइट-एपीवाई- निपटान चक्र में T+3 से T+2 तक कमी	एनपीएस छूट अनुरोध, पूर्व के T+3 के बजाय T+2 निपटान चक्र के आधार पर संसाधित किए जाएंगे।
6	मोबाइल एप - लेनदेन विवरण डाउनलोड सुविधा	एनपीएस मोबाइल एप में लेनदेन विवरण को ईमेल पर प्राप्त करने के मौजूदा विकल्प के अलावा अभिदाता को लेनदेन विवरण डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।
7	एपीवाई- प्रत्याहरण के दौरान पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन	एपीवाई निकास अनुरोधों पर कारवाई के दौरान पेनी ड्रॉप का क्रियान्वयन : 1) यदि सीआरए रिकार्ड्स में मौजूद बैंक खाता संख्या/आईएफएस कोड, प्रत्याहरण फाइल रिकार्ड्स से मेल नहीं खाता तो अभिदाता के नाम का मिलान किया जाएगा। 2) यदि सीआरए रिकार्ड्स में मौजूद बैंक खाता संख्या/आईएफएस कोड, प्रत्याहरण फाइल रिकार्ड्स से मेल खाता है तो अभिदाता के नाम का मिलान नहीं किया जाएगा।
8	योजना वरीयता परिवर्तन समयसीमा में छूट	समान दिवस भुगतान में योजना वरीयता परिवर्तन अनुरोधों पर कारवाई के लिए प्रत्याहरण समयसीमा में छूट (अनुरोध प्रातः 10 बजे तक स्वीकार किए जाते हैं)

क्र.सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
9	टियर-II के तहत क्रेडिट कार्ड आधारित अंशदान को समाप्त करते हुए ई-एनपीएस भुगतान एकीकरण	ई एनपीएस पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड भुगतान को निम्नलिखित कारणों से समाप्त किया गया है : 1. टियर II सक्रियण 2. मिश्रित अभिदाता पंजीकरण (टियर I + टियर II) 3. टियर II के लिए अंशदान
10	एनपीएस नियमित - अभिदाता पंजीकरण में परिवर्तन	सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए पृथक् पंजीकरण प्रपत्र की शुरुआत। प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार है : 1. नामिति वाले भाग से पता विवरण को हटाना । 2. नामिति के साथ सम्बन्ध । 3. बैंक शाखा और बैंक पता को हटाना 4. केवल एक पता कैप्चर किया जाएगा ।
11	एनपीएस नियमित - अभिदाता संशोधन	बैंक विवरण संशोधन प्रक्रिया में परिवर्तन : 1. पेनी ड्रॉप के माध्यम से खाता सत्यापन: क) अभिदाता द्वारा किए गए अनुरोध :- i) यदि पेनी ड्रॉप और नाम मिलान प्रक्रिया सफल होती है, तो नोडल कार्यालय से प्राधिकृत करने की आवश्यकता नहीं है । ii) यदि पेनी ड्रॉप सफल होता है किन्तु नाम मिलान प्रक्रिया असफल हो जाती है तो नोडल कार्यालय से प्राधिकृत करना और दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है । ख) नोडल कार्यालय द्वारा शुरू किए गए अनुरोध - मेकर/चेकर प्रक्रिया । 2. अभिदाता द्वारा बैंक विवरण अपडेट करने में ई साइन के अतिरिक्त द्विस्तरीय ओटीपी प्रमाणीकरण की शुरुआत ।
12	एनपीएस नियमित - अभिदाता संशोधन	निम्नलिखित विशेषताओं के लिए ई-साइन के अतिरिक्त द्विस्तरीय ओटीपी प्रमाणीकरण की शुरुआत : 1. अभिदाता द्वारा फोटो-सिग्नचर अपडेट में । 2. अभिदाता द्वारा ई-नॉमिनेशन अपडेट में ।
13	एनपीएस नियमित- योजना वरीयता परिवर्तन और उच्चतर इक्विटी आवंटन	1. टियर I में सक्रिय विकल्प के मामले में आस्ति वर्ग ई के लिए इक्विटी आवंटन में संकुचन (टेपरिंग) नहीं । 2. टियर II के मामले में आवंटन का संकुचन (टेपरिंग) किए बिना 100% इक्विटी आवंटन

क्र.सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
14	एनपीएस नियमित - ऑनलाइन पता परिवर्तन	ऑफलाइन आधार xml के अतिरिक्त, अभिदाता अपने लॉग-इन के माध्यम से निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए पता अपडेट कर सकते हैं : 1) ड्राइविंग लाइसेंस (डिजीलॉकर) 2) ऑनलाइन आधार 3) आधार वीआईडी
15	गैर-करदाताओं के लिए स्वीकृत एपीवाई - अभिदाता पंजीकरण	दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाताओं द्वारा एपीवाई में अभिदाता पंजीकरण की अनुमति नहीं है।



अनुलग्नक II - वित्त वर्ष 2022-23 की तिमाही 2 (Q2) के दौरान केफिन टेक्नोलॉजिज सीआरए द्वारा जारी कार्यप्रणालियाँ

क्र.सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
1	समेकित अंशदान रिपोर्ट	सरकारी अभिदाता के साथ-साथ नोडल कार्यालयों के लिए भी कार्यप्रणालियाँ जारी की गई हैं, जहाँ प्रत्येक वित्त वर्ष को चुनने के बजाय सभी वित्त वर्षों के लिए सम्पूर्ण अंशदान राशि जमा करने से सम्बंधित डेटा उपलब्ध कराया जाता है
2	मध्य प्रदेश राज्य सरकार के लिए ईआरएम बल्क अपलोड	मध्य प्रदेश राज्य सरकार के लिए कार्यप्रणाली जारी की गई है, जहाँ नोडल कार्यालय द्वारा एक-एक अनुरोध कैप्चर करने करने के बजाय ईआरएम मोड्यूल में विस्तृत लेनदेन किया जा सकता है। एक बार KCRA में बैच अपलोड हो जाने पर, इसे निपटान प्रक्रिया के तहत माना जाएगा।
3	निपटान प्रक्रिया की समयसीमा में T+3 से T+2 तक कमी	KCRA प्रणाली में सभी क्षेत्रों हेतु निम्नलिखित अनुरोधों के लिए निपटान प्रक्रिया की समयसीमा में T+3 से T+2 तक कार्यदिवस में कमी: <ol style="list-style-type: none">1. अधिवर्षिता2. मृत्यु वार्षिकी प्रत्याहरण के कारण समयपूर्व निकास3. टियर II प्रत्याहरण4. आंशिक प्रत्याहरण/सशर्त प्रत्याहरण5. योजना वरीयता परिवर्तन6. पुनर्संतुलन7. पीएफएम परिवर्तन अनुरोध8. एकल मार्ग परिवर्तन9. अंतर-क्षेत्रीय परिवर्तन10. ईआरएम
4	गैर आईआरए से आईआरए प्रान में परिवर्तन	राज्य सरकार के प्रान जो गैर आईआरए हैं उनको, संशोधित सीएसआरएफ फॉर्म, फोटो हस्ताक्षर के साथ-साथ अन्य अभिदाता विवरणों के अद्यतन को अपलोड करके प्रान को आईआरए के अनुरूप बनाने हेतु डीटीए को प्रदान की जाने वाली कार्यप्रणाली। साथ ही एक रिपोर्ट प्रदान की गई है जहां नोडल कार्यालय में नॉन-आईआरए प्रान की सूची डाउनलोड की जा सकती है।
5	निकास, मृत्यु और क्लेम आईडी रिपोर्ट	सरकारी नोडल कार्यालय हेतु मृत्यु, समयपूर्व निकास और अधिवर्षिता मामलों में पृथक् रिपोर्ट तक पहुंच के लिए कार्यप्रणाली विकसित की गई है।

क्र.सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
6	सीएसएफ व्यू	पृष्ठ को नीचे स्क्रॉल किए बिना एकल दृश्य प्रारूप में कॉन्टिब्यूशन व्यू मेन्यू के तहत एससीएफ अपलोड देखने के लिए कार्यप्रणाली विकसित की गई है।
7	डैशबोर्ड – बहुभाषी हिन्दी (एसजी)- पहली बार	केसीआरए ने पहली बार एक राज्य सरकार के लिए हिन्दी में डैशबोर्ड निर्मित किया है।
8	गैर-जमा राशि पर अलर्ट प्रणाली	सरकारी अभिदाताओं को 12 माह से अधिक की गैर जमा राशि के लिए एसएमएस और ईमेल भेजे जाते हैं, जिससे कि वह अपने नोडल कार्यालय से संपर्क कर सकें।
9	सीआरए एप्लिकेशन पर अभिदाता लॉगिंग लिंक शामिल किया जाना है।	केसीआरए वेबसाइट पर अभिदाता लॉग इन लिंक सक्षम किया गया है।
10	सरकारी कर्मचारी - शामिल होने की तिथि	सीआरए में सब्सक्राइबर मेटेनेंस के तहत एक सब मेन्यू उपलब्ध कराया जाना है, जहां सरकारी नोडल कार्यालय किसी विशेष अभिदाता की सेवा में शामिल होने की तिथि को अपडेट कर सकते हैं।
11	अवधि सुधार	अंशदान अवधि सुधार – नोडल कार्यालय के अनुसार, कई बार, अंशदान माह और वर्ष गलत तरीके से अपलोड किया जाता है और इसमें सुधार जरूरी होता है। सरकारी नोडल कार्यालय को अंशदान माह, वर्ष के साथ ही अंशदान प्रकार में सुधार करने के लिए भी उपयोग्यता प्रदान की गई है।
12	स्थानांतरित प्रान के लिए अंशदान अपलोड	ऐसी कार्यप्रणाली डीटीए को प्रदान की गयी है जिसमें राज्य सरकार अभिदाताओं द्वारा अन्य क्षेत्र अर्थात् सर्व नागरिक मॉडल या कॉर्पोरेट क्षेत्र में स्थानांतरित होने के मामले में नोडल कार्यालय गैर अंशदान अपलोड कर सकते हैं। हालांकि धनराशि को असंगठित क्षेत्र/कॉर्पोरेट क्षेत्र में स्थानान्तरण के दौरान अभिदाता द्वारा चुने गए नए पेंशन निधि प्रबंधक के अनुसार निवेश किया जाएगा।
13	51 वर्ष की आयु से बिना किसी संकुचन (टैपरिंग) की शर्त के अभिदाता के अंशदान के 75% को आवंटित करने के विकल्प की अनुमति।	आस्ति वर्ग ई में टियर। खाते के तहत 51 वर्ष की आयु से 2.5% प्रतिवर्ष की दर से संकुचन (टैपरिंग) की शर्त के बिना अभिदाता अंशदान के 75% तक की अनुमति प्रदान की गई है और टियर II में 100% की अनुमति दी गई है।
14	60 वर्ष की आयु से अधिक के अभिदाताओं के लिए टियर II खाता	पीएफआरडीए विनियम के अनुसार टियर I खाता 70 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता था। अब अभिदाता 60 वर्ष की तुलना में 70 वर्ष की आयु तक टियर II खाता खोल सकता है और टियर I की तरह 75 वर्ष की आयु तक खाता जारी रख सकता है।

अनुलग्नक III – वित्त वर्ष 2022-23 की तिमाही 2 (Q2) के दौरान सीएएमएस सीआरए द्वारा जारी कार्यप्रणालियाँ

क्र.सं.	विकास/कार्यप्रणाली का नाम	विवरण
1	पीओपी मोड्यूल - अंशदानों का सामूहिक अपलोड	<ul style="list-style-type: none"> • यह कार्यप्रणाली पीओपी मोड्यूल से सम्बंधित है। • पीओपी उपयोगकर्ताओं के लिए नया मेन्यू प्रदान किया गया है। (POP Login--> Contribution--> Upload Contribution) • पीओपी उपयोगकर्ता इस मोड्यूल में लॉग इन कर सकता है और प्राप्त हुए अंशदानों को उन्हें प्रदान किए गए सामूहिक अपलोड फॉर्मेट में अपलोड कर सकता है।
2	पीओपी मोड्यूल - अंशदान पुष्टिकरण का सामूहिक अपलोड	<ul style="list-style-type: none"> • यह कार्यप्रणाली पीओपी मोड्यूल से सम्बंधित है। • पीओपी उपयोगकर्ताओं के लिए नया मेन्यू प्रदान किया गया है। (POP Login-->Feed-->Feed Confirmation) • पीओपी उपयोगकर्ता इस मोड्यूल में लॉग इन कर सकते हैं और अपलोड किए गए अंशदान की पुष्टि दे सकते हैं ताकि लेनदेन आईडी जारी की जा सके। एक बार लेनदेन आईडी जारी कर लिए जाने पर इसी के सन्दर्भ से पीओपी इस धनराशि को न्यासी बैंक को स्थानांतरित कर सकता है।
3	टियर II के तहत क्रेडिट कार्ड लेनदेन को समाप्त करना।	<ul style="list-style-type: none"> • अब टियर II में क्रेडिट कार्ड से अंशदान को समाप्त कर दिया गया है। अभिदाताओं द्वारा अंशदान के लिए विकल्प के रूप में क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं है। (क्रेडिट कार्ड की अनुमति केवल टियर I अंशदान के लिए है) • अभिदाताओं के लिए सावधानी संदेश प्रदर्शित किया जाता है कि टियर II खातों में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अंशदान की अनुमति नहीं है। यह संदेश नए पंजीकरण और मौजूदा अभिदाताओं द्वारा अंशदान दोनों के लिए प्रदर्शित होता है।
4	नए पंजीकरणों के लिए प्रान प्रदर्शित करना।	<ul style="list-style-type: none"> • यह कार्यप्रणाली ई एनपीएस के तहत नए पंजीकरणों से सम्बंधित है। • सफल पंजीकरणों के लिए, प्रान तत्काल जारी किया जाता है और पेमेंट एक्नोलेजमेंट पेज में अभिदाता के लिए प्रदर्शित किया जाता है।
5	सक्रिय चयन - इक्विटी के लिए अधिकतम स्वीकार्य निवेश में परिवर्तन	<p>सक्रिय चयन के तहत आवेदकों को निम्नलिखित रूप में अधिकतम चुनने की सुविधा प्रदान की गई है :</p> <p>क. टियर I खाते के लिए इक्विटी के तहत 75%</p> <p>ख. टियर II खाते के लिए इक्विटी के तहत 100 %</p>